न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0–90/2026
आदेश

13.03.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 103, 3(5) के अधीन दर्ज काराकाट थाना कांड सं0 166/2025 में दिनांक 23.03.2025 से कारा में है। उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मानस कुमार को सुना, सूचक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र उपाध्याय को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक का ननिहाल ग्राम–करूप टोला, थाना–काराकाट, जिला रोहतास में है। आगे अभियोजन का वाद यह है कि सूचक के नाना को कोई लड़का नहीं था, केवल तीन लड़कियां हैं जिसमें सूचक की मां कमला देवी सबसे बड़ी है तथा छोटी लड़की का नाम संध्या देवी है। संध्या देवी की शादी धर्मेंद्र कुमार से हुई थी। आगे अभियोजन का वाद यह है कि सूचक के नाना की मृत्यु हो चुकी है, किन्तु उसकी नानी जीवित है तथा उसकी नानी को पारिवारिक पेंशन मिलता है तथा वह अपनी नानी के साथ रहता है। आगे अभियोजन का वाद यह है कि सूचक की शादी उसकी नानी के इच्छा के अनुसार करूप टोला से संपन्न हुई थी, जिसके कारण उसकी मौसी संध्या देवी एवं मौसा धर्मेंद्र कुमार के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया कि सूचक के पिता सुभाष सिंह कुल संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। इस कारण दिनांक 15.03.2025 को सुबह 08.30 बजे अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार और संध्या देवी अपने कार निबंधन संख्या BR02AU5647 से आए तथा उन लोगों से झगड़ा करने लगे तथा उन लोगों को तत्काल वहां से भाग जाने को बोले तथा यह धमकी दी कि यदि वे लोग वहां से नहीं जाएंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। किन्तु करूप टोला के कुछ लोग के जमा हो जाने के कारण एवं उनके द्वारा बीच–बचाव करने के कारण मामला शांत हो गया। इसके बाद सूचक के पिता सुभाष सिंह अपने मोटरसाईकिल से ग्राम संझौली के लिए 09.30 बजे निकले थे। इसी बीच सूचक की मौसी संध्या देवी के कहने पर उसके पति धर्मेंद्र कुमार ने अपनी कार को तेजी से दौड़ाकर सूचक के पिता का पीछा कर पीछे से धक्का मारकर, सूचक के पिता के शरीर पर गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचल दिया, जिससे सूचक के पिता की मृत्यु हो गई। अभियुक्तों ने संपत्ति विवाद के कारण सूचक की पिता की हत्या कर दी थी।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 51709/2025 द्वारा खारिज किया जा चुका है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त इस वाद में दिनांक 23.03.2025 से कारा में है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से नई जमानत याचिका दायर क रने का नया आधार यह है कि आवेदक अभियुक्त एचआईवी पॉजिटिव हो गया है, इसलिए उसके उचित देखभाल और उपचार एवं दवा की आवश्यकता है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्त के

लगातार
13.03.2026

जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि पूर्व में आवेदक अभियुक्त के द्वारा उसके एचआईवी पॉजिटिव से संबंधित विषय को उसके जमानत आवेदन के सुनवाई के क्रम में नहीं उठाया गया था, किन्तु जब आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 51709/2025 में दिनांक 11.11.2025 को पारित आदेश के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तब आवेदक अभियुक्त की ओर से उसके एचआईवी पॉजिटिव होने के तथ्य के आधार पर यह नया नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो अस्वीकृत किए जाने योग्य है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त इस वाद की प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। अभिलेख पर आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथापि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध संपत्ति विवाद के कारण सूचक के पिता की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से टक्कर मारकर उनकी हत्या कारित करने की बात कही जाती है। आवेदक अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 51709/2025 के द्वारा खारिज किया जा चुका है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों पर विचार करने के पश्चात मैं आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।